

फर्द अहकाम

मुकेश बनाम एतुमान

नाम न्यायालय

केस संख्या 42/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अन्य मामलों में दायर। पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 का पत्रावली
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/3/25 को पेश हो।
	4/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक के आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। पी0ओ0 साहब अन्य मामलों में दायर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/3/25 का पत्रावली
	25/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक के आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। पी0ओ0 साहब अन्य मामलों में दायर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/4/25 को पेश हो।
	21/4/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य मामलों में दायर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/4/25 को पेश हो।
	28/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पत्रावली पेश की और से अप्पन (काबत वाड विज्ञा किसे जानें) पत्रावली पेश किया था कि वो सादी को अनुभव सादी ने कहा कि पत्रावली के मध्य अप्पन समझा में सुझाते से गुरु है। वाड में कोई वाद नहीं चलेगा है। अतः वादी के अप्पन के आदेशों पर वादी के वाद को विज्ञा किसे जानें पत्रावली नाम्ना से काठ धका वाड तभी को दायर न पत्रावली (मुकेश साहब)

उप-खण्ड अधिकारी  
वकील मुकेश